

प्रेषक,

मीनाक्षी जोशी,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक / नोडल अधिकारी,
वन भूमि हस्तातरण, इन्दिरा नगर,
फारेस्ट कालोनी देहरादून।

वन एवं पर्यावरण अनुभाग-4

देहरादून: दिनांक: १६ सितम्बर, २०१६

विषय: जनपद-बागेश्वर के अंतर्गत कपकाट मोटर मार्ग के किमी० १६ तुड़तुड़िया के पास ओलिंग होते हुए भैरू, ओखलधार तक ६.०० किमी० मोटर मार्ग के निर्माण हेतु २.६८ हेतु वनभूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण को प्रत्यावर्त्तन करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या-**६२३/FP/UK/Road/२०२२७/२०१६** दिनांक २६ जुलाई, २०१६ के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय जनपद-बागेश्वर के अंतर्गत कपकाट मोटर मार्ग के किमी० १६ तुड़तुड़िया के पास ओलिंग होते हुए भैरू, ओखलधार तक ६.०० किमी० मोटर मार्ग के निर्माण हेतु २.६८ हेतु वनभूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण को प्रत्यावर्त्तन करने की तैयारी तक रवैकृति भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के शासनादेश संख्या-एफ०न०-११-०९/९८-एफ०सी० दिनांक १३ फरवरी, २०१४ एवं संख्या एफ०न०-११-०९/९८-एफ०सी० दिनांक १३ दिसम्बर, २०१५ में चिह्नित प्रावधानों द्वारा प्रदत्त प्राधिकार का प्रयोग करते हुए अद्योतिति शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं—

- प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन निभाग के पक्ष में प्रत्यावर्त्तन भूमि के बदले ५.३६ हेतु रिविल सोयम भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षों का अथोचित वृक्षारोपण (१०-१५ वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान वेतन दरों को समाहित करते हेतु यथासंशोधित) जमा की जायेगी। उक्त भूमि वन निभाग के स्वामित्व के बाहर है इसे वन निभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण किया जायेगा तथा छः माह में आरक्षित/संरक्षित वन भूमि घोषित किया जायेगा। भूगों का हरतान्तरण एवं नामान्तरण की लक्त शर्त पूर्ण होते के पश्चात् ही प्रदान की जा रही रेलान्टिक रवैकृति निर्गत रही जायेगी।
- प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रसारित रखल के आस-पास ५००० पड़ रथानों पर यथोत्तिवृक्षारोपण एवं १० वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान वेतन दरों तक समाहित करने हेतु यथासंशोधित) जमा की जाएगी।
- प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा पानीय उच्चतम न्यायालय द्वारा रिट गिटीशन (सिविल) २०२/१९९५ के अंतर्गत अई०ए८००-५६६ एवं भूमि सरकार पत्र संख्या-३-३/२००७-एफ०सी०, दिनांक ०१.०२.२००३ के तहत दिये गये निवेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन०पी०वी०) की निर्दित राशि रासा की जायेगी।
- प्रयोक्ता अभिकरण इस अशाय का वचनबद्धता प्रस्तुत करें कि रक्षम स्तर गे यह एन०पी०वी० की दर में बढ़ेता होता है तो बढ़ी तुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जाएंगी।

- प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3, 2007-एफ०सी० १दिनांक ०५. ०२.२००९ के तहत दिये गये अनुदेशों के अनुसार एन०पी०वी०० तथा दूसरी सभी निधियाँ प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रलंबन तथा योजना प्राधिकरण के तात्पर्य निभाय के लिए संख्या-एस०बी०-२५२२९, कार्पोरेशन बैंक (भारत सरकार का उपकम), ब्लाक-११ भूतल सी०जी०ओ० काम्पलैक्स, फैजल-१, लंगड़ी रोड, नई दिल्ली-११०००३ में जमा करने के उपरांत ही पावती की छाक्खाति, जमा की गई धनराशि का बैंक ड्राफट/चेक की छायाप्रति सहित प्रस्ताव के संदर्भ में अनुपालन आख्या (जिसमें जमा की गई धनराशि का मदवार विवरण अर्थात् एन०पी०वी०० क्षतिपूरक वृक्षारोपण प्रस्तावित स्थल के आस-पास वृक्षारोपण तथा अन्य देश धनराशियों का विवरण दिया गया हो) उपलब्ध नहाये जाने के पश्चात ही निर्गत स्वीकृति मान्य होगी।
- प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित विभाग कार्य के लिए जनपद कार्यबल को संस्तुति एवं भू-वैज्ञानिक के सुझावों को कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।
- प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा पन्न अधिकार अधिभिराम २०१६ के अन्तर्गत आदेश अभिलेखों/प्रमाण-पत्रों को उपलब्ध कराया जाना होगा।
- प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्ताव में निहित निश्चिरित शर्त का अनुपालन करने से अथवा असंतोषजनक अनुपालन होने की स्थिति में वन एवं पर्यावरण विभाग, उत्तराखण्ड शारान द्वारा स्वीकृति को निरत करने का आवेकार सुरक्षित है।
- उपरोक्त शर्तों के अनुपालन के बाद प्रकरण में विधिवत् एवं सुन्तुति निर्गत की जायेगी।

मन्त्री,

Yoshi

मी. इन्डिया जोशी

मंत्री सचिव।

संख्या: ९७४ (१) / X-४--१०/१३५२) / २०१६, तददिनांकित:

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित वारों सूचना एवं अवश्यक कार्यवाही द्वारा प्रेषित-

- अपर प्रमुख वन संरक्षक (एवं दूसरी), भारत सरकार, पवर्टी एवं वन गंगाराम, दीनी, कार्यालय, एफ०आर० आई०, उत्तराखण्ड देहरादून।
- सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ ज़िला, अल्मोड़ा।
- जिलाधिकारी, बागेश्वर।
- प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर। प्र० ५, बागेश्वर।
- अधिशासी अभियंता, निक्ष० एन०न००१०३, कपकोट, यागेश्वर।
- निदेशक, राष्ट्रीय सूदूर प्र० एन०, उत्तराखण्ड संविवालय परिवार, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि यूनियन एवं शासनादेश दो एन०आई०सी० की निवाराई का अन्तर्गत करने का कष्ट करें।
- गार्ड फाईल।

अ.सी.स०

P.M.

(आर० एन० तोमर)

सुन्दर निवारा।

१